तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28-6-19	वकील अपीलार्थी उप० । बहस सुनी गई । वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-7-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
5-7-19	वकील अपीलार्थी उप० । अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा० सं० 190 दि० 20-7-04 ग्राम सहजपुर निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक घसीतर पुत्र भौरया बागरिया के वारिसों को सुनकर विधि अनुसार उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें । सुनवाई हेतु पक्षकारान दि० 31-7-19 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवें । तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे । पत्रावली कैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2017	01.03.2017	5-7-2019

1. काली देवी पुत्री छीतर पत्नी रतना जाति बागरिया निवासी ग्राम कास्या नेड़वास तहसील फागी जिला जयपुर
2. कमला पुत्री छीतर पत्नी अमरलाल जाति बागरिया निवासी –361 बाबा रामदेव नगर न्यू सांगानेर रोड़, गुर्जर की थड़ी, जयपुर ––अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खूंटला सलोना तहसील गंगापुर सिटी
2. रोडी पुत्री छीतर पत्नी बद्री उर्फ काडू जाति बागरिया निवासी गुर्जर की थड़ी, जयपुर
3. ग्यारसी पुत्री छीतर पत्नी रामहेत, बागरिया नि0 मच्छीपुरा तह0गंगापुरसिटी
4. धीसी पुत्री छीतर पत्नी मंगल, बागरिया नि0 मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी
5. गोपाल पुत्र छीतरमल, बागरिया नि0 चौरू तहसील फागी जिला जयपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. रज्जो पत्नी नवलसिंह, गुर्जर निवासी सहजपुर तहसील गंगापुर सिटी

––रेस्पोन्डेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 20.7.2004 ग्राम सहजपुर तह0 गंगापुर सिटी, सरपंच ग्राम पंचायत खूंटलासलोना

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री रकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 7 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि विवादित भूमि ख0नं0 21 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 22 रकबा 1.30 है0 ग्राम सहजपुर की खातेदारी छीतर पुत्र भौरया बागरिया हिस्सा 1/2 व नवल पुत्र रामकुंवार गुर्जर हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रही है। छीतर की मृत्यु के उपरान्त भूमि का नामान्तरकरण गलत रूप से रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 लगायत 5 के नाम पटवारी हलका द्वारा अपीलार्थी के साझीदार चरण गुर्जर के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर अन्य राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर तथा सरपंच से सांठ गांठ कर भर दिया जिसे गिरदावर ने साजिशी तौर पर बिना किसी जांच के अंकन को सही होना मानकर अपनी रिपोर्ट दि0 19.7.2004 को दर्ज की तथा दिनांक 20.7.2004 को सरपंच द्वारा बिना किसी जांच के नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। कानूनी रूप से यह कार्यवाही अवैद्य होने के कारण यह प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है तथा निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का निर्णय विधि विरूद्ध है तथा प्रारम्भ

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

से ही शून्य व प्रभावहीन है। मृतक छीतर के एक पुत्र नाबालिग, पत्नी व पांच लड़कियां थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत का जो भरा गया उसमें मृतक छीतर के वारिसों की कोई जांच नहीं की गई, वारिसों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जिसकी वजह से गलत कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी पटवारी हलका, गिरदावर गांव के कुछ लोगों से मिले हुए हैं जिके कारण रेस्पोन्डेन्ट नं0 5 जो कि नामान्तरकरण खोले जाने के समय नाबालिग था तथा स्कूल में पढ़ रहा था एवं उसकी अन्य तीन बहनों को व मां को चुपचाप तहसील में यह कहकर ले गए कि तुम्हारे नाम नामान्तरकरण खोला जावेगा। ये लोग तहसील में आगर बैठ गए । कुछ समय बाद पटवारी हलका व उसके साथ आए कुछ अन्य लोगों ने कुछ कागजात पर इनके हस्ताक्षर करवाए व कागज लेकर तहसीलदार के पास चले गए तथा इन लोगों को बाहर बैठकर इन्तजार करने को कहा। कुछ समय बाद आकर कहा कि तुम्हारे नाम भूमि का नामान्तरकरण खुल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है अब गांव जाओ। इस पर ये लोग गांव वापिस आ गए। अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 ता 5 की मां सुन्दर की मृत्यु हो चुकी है एवं अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 ता 5 ही इनके वारिस हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खूंटला ने नामान्तरकरण खोलते समय अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस नहीं दिया बल्कि जो भी कार्यवाही पटवारी हलका व गिरदावर द्वारा की गई वह गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। इस प्रकार यह अपीलाधीन नामान्तरकरण सरसरी तौर पर ही निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 ता 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे वे अपने साझेदार को आध बटाई पर काश्त के लिए बताते आ रहे हैं तथा भूमि से होने वाली पैदावार में से आध बटाई के हिसाब से अपना हिस्सा लेकर रेस्पोन्डेन्ट नं0 5 आता था तथा अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 ता 4 को बराबर बांट देता था। इस वर्ष खरीफ की फसल के समय रेस्पोन्डेन्ट नं0 5 अपीलार्थीण के पास नहीं आया और न ही फसल की कोई जानकारी दी ना ही अपीलार्थीगण से सम्पर्क किया तो अपीलार्थीगण अपनी भूमि को संभालने गांव सहजपुर अपने खेतों पर गई तभी रेस्पोन्डेन्ट नं0 7 अपने पति नवलसिंह के साथ वहां पर आई। अपीलार्थीगण ने उनसे खेत पर आने का कारण पूछा तो रेस्पोन्डेन्ट ने कहा तुम्हारा अब इस खेत से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह भूमि मैंने रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 ता 5 व मृतक सुन्दर देवी से जरिए रजिस्ट्री खरीद ली है। इस पर दूसरे दिन अपीलार्थीगण जयपुर आकर अपने भाइ के घर गई तथा अपनी अन्य बहनों को भी वहां बुला लिया तथा उन्हें रेस्पोन्डेन्ट नं0 7 द्वारा कही गई बात बताई तो उन लोगों ने ऐसे किसी विक्रय से इन्कार किया और कहा कि पिताजी की मृत्यु के बाद हमें व हमारी मां सुन्दर को नामान्तरकरण खुलवाने हेतु चरण गुर्जर पटवारी एवं गिरदावर के पास तहसील में लेकर गया था, हमने कहा था कि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमारी दो बहनें और हैं उनके बिना कैसे नामान्तरकरण खुलेगा तब पटवारी एवं चरण गुर्जर ने कहा हम उनके हस्ताक्षर बाद में करवा लेंगे, तुम्हारे सभी के नाम नामान्तरकरण खुल जावेगा। उस समय रेस्पोन्डेन्ट नं0 7 व उसका पति भी तहसील में मौजूद थे। उन व्यक्तियों ने हमारे हस्ताक्षर करवाए, हमारी फोटो लगवाइ एवं कहा शीघ्र ही नामान्तरकरण तुम्हारे नाम खुल जावेगा। इसके अलावा हमने कोई कार्यवाही नहीं की । इनकी ये बात सुनकर सारी सच्चाई सामने आ गई। अपीलार्थीगण महिला हैं एवं अनपढ होने के कारण तहसील की कार्यवाहियों से अनभिज्ञ थी इसलिए अपीलार्थीगण दिनांक 27.1.2017 को पटवारी हलका से मिली तब पटवारी हलका ने नामान्तरकरण की नकल लेने को कहा। नकल दिनांक 20.7.2004 को ली तो सर्वप्रथम इस गलत व फर्जी कार्यवाही की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 20.7.2004 ग्राम सहजपुर तहसील गंगापुर सिटी जो सरपंच ग्राम पंचायत खूंटलासलोना द्वारा स्वीकार किया गया है, को निरस्त फरमाया जाकर इस नामान्तरकरण के बाद नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के बाबत् जो इन्द्राज रेवेन्यु रेकार्ड में परिवर्तित हो गए हैं को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए जावें।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने नकल नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 20.7.2004, नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062, 2071 से 2074, फोटोकोपी सजरा दिनांक 24.1.2017 ग्राम पंचायत चौरू, फोटोकोपी अंकतालिका गोपाल बागरिया, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 5.6.2004 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 लगायत 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 190 दि0 20.7.04 ग्राम सहजपुर के अनुसार यह नामान्तरकरण खातेदार छीतर पुत्र भौरया बागरिया सा0 देह हि0 1/2 की मृत्यु होने पर उसके वारिसों मु0 सुन्दर धर्मपत्नी स्व0 छीतर, गोपाल पुत्र छीतर, रोडी, ग्यारसी, घीसी पुत्रियां छीतर जाति बागरिया हिस्सा 1/2 के नाम खोला गया है। ग्राम पंचायत चौरू पंचायत समिति फागी जिला जयपुर द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक छीतर के वारिस मृतक पत्नी सुन्दर, पुत्री ग्यारसी, घीसी, रोडी, कानी, कमली व पुत्र गोपाल बताए गए हैं। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिवत रूप से मृतक छीतर के सभी वारिसों के नाम नहीं खोला गया है इसमें अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध

अति. जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अंकतालिका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गोनेर जयपुर में रेस्पो0 गोपाल बागरिया पुत्र छीतरमल बागरिया की जन्मतिथि 13.4.87 अंकित है जिसके अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण खुलने के समय रेस्पोन्डेन्ट गोपाल नाबालिग था परन्तु नामान्तरकरण में इस बात का अंकन नहीं किया गया है। इस नामान्तरकरण के आधार पर हुए विक्रयपत्र दिनांक 5.6.2004 में रेस्पो0 गोपाल को 20 वर्ष का बताया गया है जबकि अंकतालिका के अनुसार वह नाबालिग था। चूंकि अपीलार्थीगण मृतक छीतर की पुत्रियां है यह निर्विवाद है क्योंकि किसी भी रेस्पोन्डेन्ट ने इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है एवं मृतक छीतर की पुत्रियां होने के कारण अपीलार्थीगण का मृतक छीतर की भूमि में उसकी अन्य तीन पुत्रियों के अनुसार ही हिस्सा बनता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व विस्तृत रूप से मृतक छीतर के वारिसों की जांच नहीं की गई। यदि वारिसों की जांच की जाती तो निश्चित ही अपीलार्थीगण का नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज होता। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना जांच कार्यवाही के भरा एवं तस्दीक किया गया है जो कानूनी रूप से प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण के पक्ष में शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर हुआ विक्रय भी कानूनी रूप से अपीलार्थीगण के हक में शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.7.2004 ग्राम सहजपुर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक छीतर पुत्र भौर्या बागरिया के वारिसों को सुनकरविधि अनुसार उनके नाम नामान्तकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। सुनवाई हेतु पक्षकारान दिनांक 31.7.2019 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवें। तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी